गुजरात और महाराष्ट्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाएं

*128.**श्री गोपाल सिंह जी.सोलंकी**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में विदेशी अभिकरणों तथा गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा वित्त पोषण उन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं के नाम क्या हैं,जिन्हें निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाना हैं,

(ख) विदेशी अभिकरणों तथा गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा वित्तपोषित किए जाने हेतु हाल के वर्षो में जिन परियोजनाओं का चयन किया गया है उनके नाम क्या हैं,और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री के.राममूर्ति): (क) से (ग) फिलहाल,गुजरात राज्य में ओ एन जी सी की ऐसी केवल एक परियोजना अर्थात् गंधार विकास चरण-2 परियोजना क्रियान्वयनाधीन हैं । परियोजना का अंशत: वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) से विदेशी मुद्रा ऋण द्वारा किया गया है । गत तीन वर्षो के दौरान तेल या प्राकृतिक गैस की ऐसी कोई अन्य परियोजना नहीं है जिसे विदेशी एजेंसियों और गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा वित्तपोषण के लिए चुना गया हो।

गंधार परियोजना के संबंध में ग्रुप समूहन स्टेशन के संस्थापन से संबंधित केवल एक पैकेज पूरा किया जाना शेष हैं । सरकार द्वारा परियोजना पर तिमाही प्रगति समीक्षा बैठकों के माध्यम से नियमित निगरानी रखी जा रही हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है,सुधारात्मक कार्रवाई की जाती हैं ।

कम्प्यूटरों की "वाई टू के" की समस्या

*129.**श्री ओंकार सिंह लखावत**: क्या इलेक्ट्रोनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने कम्प्यूटरों की"वाई टू के" के समस्या से निपटने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) उक्त समस्या के कारण रक्षा,बैंकिंग,नागर विमानन आदि के क्षेत्र में क्या कठिनाईयां आने की संभावना हैं;और

(ग) इस समस्या से निपटने में कितना व्यय होने का अनुमान हैं ?

विदेशी मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार ने भारत में वर्ष 2000 समसया के प्रभाव का सामना करने के लिए सदस्य,योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सशक्त कार्य दल का गठन किया है । इस कार्यदल के विचारार्थ विषय नीचे दिए अनुसार हैं ।

(i) देश में ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना जिनकी देश में वर्ष 2000 समस्या का सामना करने के लिए निगरानी करने की आवश्यकता हैं ।

(ii) वर्ष 2000 समस्या के संबंधित उपचारात्मक कार्य के लिए संबंधित संगसठनों/एजेंसियों द्वारा क्षेत्रवार कार्य योजना तैयार कराना ।

(iii) कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की आवधिक रूप से निगरानी करना ।

(iv) संगठनों,संसद,प्रेस,तथा जनता की प्रभावित श्रेणियों में जागरूकता पैदा करने की योजनाएं बनाना ।

(v) भारत में वर्ष 2000 समस्या के समाधान के लिए 700 करोड़ रूपए की एक सामूहिक निधि की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाना ।

(vi) कम्प्यूटर पर आधारित कार्यो तथा उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर वर्ष 2000 समसयाके प्रभाव का सामना करने के लिए विभिन्न सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कम्पनियों तथा अन्य प्रभावित संगठनों/कार्यकलापों के लिए सामूहिक निधि में से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र का विकास करना ।

(vii) विभिन्न क्षेत्रों के लिए आकस्किम कार्य योजनाएं तैयार रखना ताकि वर्ष 1999 के बाद की संभावित स्थितियों का सामना किया जा सके ।

इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने वर्ष 2000 अनुजीवन : एक व्यवसायी की गाइड" सभी संबंधित संगठनों को जारी की है तथा सॉफ्टवेयर उद्योग के साथ मिलकर भारतीय वाई 2 के समाधान प्रदानकर्त्ता तथा अनुपालन कम्पनियों की एक निर्देशिका भी प्रकाशित की है एक वेबसाइट 2 के.गव.इन का सृजन किया गया है जिसमें सभी संबंधित जानकारी होती हैं । इसके महत्वपूर्ण देशों के वाई 2 के स्थल से अतिरिक्त सम्पर्क हैं ।